

फर्द अहकाम

दीनर

बनाम प्रमुनारायण व अन्य

उज्जैन सांगानेर

माल्य

135/2019

ख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

22/7/25

पञ्जावणी प्रेषण दुर्डी वकील प्रार्थी अज्ञान वकील प्रार्थी की प्राप्ति अध्यायी निषेधाज्ञा पर कसत सुनी गयी वकील प्रार्थी ने अपनी कसत में प्राप्ति T. 9 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्राप्ति T. 9 स्वीकार किया जाने हेतु निषेध किया है। पञ्जावणी व राजस्व रिकार्ड का अवगोचन करने व वकील प्रार्थी की कसत का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अभावन्वी सम्बन्ध 2073-2076 ग्राम गंवार ब्राह्मणान पटवार हल्का खेडीगीकुलपुरा तहसील सांगानेर के खाना सं. 72 में खसरा नम्बर 342, 343, 344, 345, 346, 351/1037, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 366, 367, 368 कुल कितना 18 कुल रकवा 5.54 हे० में दीनर पुत्र पांचू हिस्सा 1/2, विमल रत्न, गोपाली, पत्नी स्व० रामपाल, मोहरराम, कल्याण पि० रामपाल है व हि 1/2 सिन्धीकेट बैंक शाखा कारिका मुर्तडीन जाति कुम्हार सा. देह अंकित है युक्ति वादग्रस्त आराधी प्रार्थी व अज्ञात सहायकार का इतकार है अज्ञात/ सहायकारों का आराधी के दरबंद हिस्सा है अतः वादग्रस्त आराधी पर सहायकार का इतकार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है अतः प्रार्थी का प्राप्ति अध्यायी निषेधाज्ञा को खारिज किया जा रहा है पञ्जावणी नाम से कल होकर वाद तकरीफ दायित्व दफ्तर है। (सुभाषावणी)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)